



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052026-272691
CG-DL-E-19052026-272691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2439]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2026/वैशाख 25, 1948

No. 2439]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2026/VAISAKHA 25, 1948

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2026

का.आ. 2531(अ).—केन्द्रीय सरकार जन विश्वास (उपबंधो का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख से उक्त अधिनियम के उपबंधो, जहां तक वे क्रम संख्या 65 से संबंधित हैं और उक्त अधिनियम की अनुसूची में उससे संबंधित प्रविष्टियां, जो 'पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009' (2009 का 27) से संबंधित हैं, प्रवृत्त होंगे।

[फ़ा. सं. K-11053/49/2025-एल एच]

रामा शंकर सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th May, 2026

S.O. 2531(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 1st July, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 65, and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (27 of 2009) shall come into force.

[F. No. K-11053/49/2025-LH]

Sh. RAMA SHANKAR SINHA, Addl. Secy.